



# मत पालो तमाखू गुटखे की लत, नहीं तो होगी बुरी गत



पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि पवन कैसे दोस्तों की मदद से अवसाद से उबर गया।

इस अंक में देखना है कि रंजीत तमाखू गुटके की लत से उबर पाता है या नहीं ?









# पढ़ी गई कहानी के अनुसार, हम कृष्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे:



**दोस्तों के द्वाव  
का नकाबालक प्रश्नाव**

रंजीत को गुटखे की लत  
किसने लगाई ?



**आमच्यी की  
उपलब्धता**

रंजीत गुटखा कहाँ से खरीदता  
है ? इसके लिए वह पैसे कहाँ से  
लाता है ?



**गुटखे का  
दृष्ट्युभाव**



गुटखा खाने के साथ  
रंजीत और किन-किन बुरी  
आदतों में फंस गया है ?



**बुरी लत का  
प्रतिकाव**



मुस्कान और माधव गुटखा और  
सिंगरेट का प्रतिकार किस तरह  
करते हैं ?



**छुटकावा पागे का आणी  
तबीका क्या हो**




क्या मारपीट, डॉटने धमकाने  
से बुरी लत से छुटकारा पाया जा  
सकता है ?

**मुकित हेतु  
आहायक तंत्र**

आशा दीदी ने समस्या के  
निराकरण के लिए क्या  
सुझाव दिया ?

# याद रखने वाले मुख्य संदेश

## नशीले पदार्थ



ये वे पदार्थ हैं जो हमारे दिमाग और शरीर के सामान्य कामकाज पर असर डालते हैं।  
नशे की आदत अचानक नहीं पड़ती।  
यह धीरे-धीरे अपने चंगुल में ले लेती है और पता भी नहीं चलता।  
कोई दो दिन में आदि हो जाता है तो कोई दो महीने में।  
जब नशा छोड़ना चाहते हैं तो मालूम होता है कि अब शरीर और दिमाग बस में नहीं है, क्योंकि वे नशे के आदि हो चुके हैं और उसकी मांग करते हैं।

## गुट्टिये का दृष्टिभ्राव



नशीले पदार्थों को इनके बुरे असर के आधार पर तीन भागों में बाँटा गया है –

पहला वे पदार्थ जो हमारे शरीर की तंत्र व्यवस्था यानि नस-नाड़ियों को धीमा और सुस्त कर देते हैं।

दूसरा वे पदार्थ जो उत्तेजना देते हैं और तंत्र व्यवस्था को तेज़ कर देते हैं।

तीसरा वे पदार्थ हैं जो हमारे दिमाग पर असर डालकर हमारी समझ को बिल्कुल बिगाढ़ देते हैं। जो नहीं है वह दिखाई या सुनाई देता है या महसूस होता है

शराब, हेरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर आदि।

तमाख़, सिगरेट, कोकेन, ब्लो, क्रेक, फ्लेक, कैंडी आदि।

कैनाबीज़, भांग, गांजा, एलएसडी। (इन नशीले पदार्थों से मतिभ्रम होते हैं, यानि ऐसे दृश्य दिखते हैं जो असल में होते नहीं हैं।)



## भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

- ❖ आशा की सहायता से गांव में 10 से 19 वर्ष की आयु के सभी किशोर/किशोरियों की सूची तैयार करना।
- ❖ स्वास्थ्य एवं संरक्षण के मुद्दों के संबंध में मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने में किशोर/किशोरियों की सहायता करना।
- ❖ आशा/ए.एन.एम. की सहायता से आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सीय व सुरक्षा संबंधी जरूरत में दूसरी जगह रेफर करवाना।
- ❖ किशोर/किशोरियों की बातों की हमेशा गोपनीयता बनाए रखना।
- ❖ बच्चों और किशोर/किशोरी पर हिंसा के मामलों को पुलिस या बाल संरक्षण अधिकारी को सूचित करना।
- ❖ हिंसा के शिकार व्यक्ति की चिकित्सा देखभाल एवं परामर्श लेने और कानूनी सहायता हासिल करने में सहायता करना।
- ❖ धर्म, जाति, वर्ग, जेंडर या वैवाहिक स्थिति पर विचार किए बिना सभी किशोर/किशोरियों तक पहुंचना।

